



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17669 वर्ष 2026

कमल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : विश्वजीत तिवारी, विवेक कुमार सिंह, यागेश मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना गया। हालाँकि, पुलिस द्वारा 14.05.2026 को नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना- कासगंज, जिला कासगंज में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 604 वर्ष 2025, धारा 137(2), 87, 65(1), 127(4) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया था, जिसमें सह-आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान, यह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पाया गया कि वास्तव में मृतका का अजय नामक व्यक्ति के साथ संबंध था। तत्पश्चात आवेदक को केवल इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह सह-आरोपी सज्जन कुमार का मित्र है और साथ ही आवेदक ने पीड़िता को तब अपने घर पर रखा था जब उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यह भी कहा गया है कि पीड़िता ने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में विशिष्ट आरोप लगाया है कि जब उसके चाचा (प्रथम सूचनाकर्ता) को अजय के साथ उसके संबंधों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे फटकारा और साथ ही पीटा भी। उसके बाद, वह आत्महत्या करने के लिए अपना घर छोड़ गई लेकिन वर्तमान आवेदक ने उसे बचाया और उसे अपने घर ले गया, इसलिए, आवेदक ने कोई गलत काम नहीं किया है। हालाँकि, जब पीड़िता अपने माता-पिता के संरक्षण में आई, तब प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा सिखाए-पढ़ाए जाने पर, उसने भी आवेदक के खिलाफ गलत काम (बलात्कार प्रतीत होता है) के संबंध में आरोप लगाए, लेकिन चिकित्सा रिपोर्ट बलात्कार के उपरोक्त आरोपों का समर्थन नहीं करती है। आवेदक को झूठा फंसाया गया है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 11.09.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सका।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश तथा जमानत देने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- कमल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की नीति रणनीति, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 जिसका निर्णय 31.01.2023 को हुआ और (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025 जिसका निर्णय 29.05.2026 को हुआ, के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से कासगंज जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

12. प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 1, 2026

ए.के.आर.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"